<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एस.सी. / एस.टी.), अररिया।</u>

<u>ST Case No. 447/2022</u>
<u>CIS No.- 447/2022</u>

राज्य सरकार द्वारा .... सूचिका

बनाम

1. राजेश साह, पिता–रामेश्वर साह,

साकिन–पलासी वार्ड नं0 02, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया।

...............................अभियुक्त।

अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 354डी, 506, 420 / 34 भा.द.वि. एवं 67 I.T Act

उत्पन्न फारबिसगंज थाना काण्ड सं0–51 / 2022

दिनांक 14.01.2022

संज्ञान अन्तर्गत धारा 376, 499, 500 भा.द.वि. एवं 67(A) I.T Act

दिनांक 17.06.2022

आरोप अन्तर्गत धारा 376, 500 भा.द.वि. एवं 67 I.T Act

दिनांक 10.11.202

अभियोजन पक्ष :– श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

बचाव पक्ष :– श्री बरूण कुमार सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता।

<u>निर्णय की तिथि – 21वीं अगस्त 2023.</u>

उपस्थितः– मनोज कुमार तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
अररिया।

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्त धारा 376, 500 भा.द.वि. एवं 67 I.T Act के अर्न्तगत न्यायिक विचारण का सामना कर रहा है।

2. अभियोजन का अंतर्सार यह है कि रूपा कुमारी सत्य नारायण साह की पुत्री है जो स्नातक की छात्रा है तथा गॉव(पिठौरा) पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं रहने के कारण रूपा कुमारी को उसके पिता ने फारबिसगंज में एक पारिवारिक डेरा में सितम्बर 2021 में किराये पर रखवा दिया जहॉ से रूपा कुमारी अपना पठन–पाठन करती एवं अन्य प्रोफेसनल कोर्स आदि की तैयारी करने लगी। इस दरमयान सूचिका का खुशबू वस्त्रालय जो जगदम्बा ज्वलेरी, फारबिसगंज के सामने है, दुकानदार रामेश्वर साह से हुई और स्वजाति होने के कारण सूचिका को वह अपने बेटी की तरह मानने लगे और धीरे–धीरे हमलोगों की मित्रता बढ़ गई और दुकानदार एवं उनके पुत्र द्वारा सूचिका को समय–समय पर सहयोग भी मिलता रहा किन्तु बाद में जाकर राजेश साह सूचिका को परेशान करने लगा तथा शादी का प्रलोभन देकर उन्हें चंद तरह से बहलाने–फुसलाने लगा एवं उसका पीछा करने लगा। सूचिका द्वारा लगातार मना करने एवं समझाने–बुझाने के बावजूद भी राजेश साह नहीं माना एवं एक दिन उसके कमरा तक पहुँच गया एवं सूचिका का मोबाईल छीन लिया तथा उसका बहुत सारा फोटो/वीडियो अपने मोबाईल में ले लिया। मकान की मालकिन जो अभिभावक के रूप में थी, द्वारा डॉटने–फटकारने पर राजेश साह वापस लौट गया जिसकी जानकारी सूचिका के परिवार को मिलते ही सूचिका के पिता द्वारा श्री रामेश्वर साह(विपक्षी के पिता) को इसकी जानकारी दिये एवं अपनी पुत्री को फारबिसगंज से वापस लौटाकर पिठौरा, नरपतगंज अपने घर 02 नबम्बर 2021 को ले आये। इस अवधि के दरम्यान सूचिका का पठन–पाठन काफी प्रभावित हुआ किन्तु परिजनों की सलाह से सूचिका के पिता ने पुनः अपनी पुत्री को पूर्णियॉ जहॉ उसका नामांकन है, में अपने साला की बेटी के साथ पूर्णियॉ कॉलेज पूर्णियॉ के निकट किराये पर दिनांक 28.11.2021 को रखवा दिया किन्तु विपक्षी राजेश साह इतने सक्रिय रहे कि खोजबीन कर पता लगा लिये एवं दिनांक 16 नवम्बर 2021 को शीतला मंदिर, पूर्णियॉ के निकट एक अन्य व्यक्ति, उम्र लगभग 32 वर्ष के साथ अपने मोटरसाईकिल के साथ सूचिका को घेर लिया तथा उसे

जबरन अपने मोटरसाईकिल पर बैठाने का प्रयास करने लगे। किसी तरह सूचिका जब धक्का–मुक्की में बाहर भागने का प्रयास की तो विपक्षी अपने जैकेट से एक बोतल, संभवतः एसिड भरा हुआ, लेकर सूचिका की ओर दौड़ पड़े और काफी दूर तक पीछा किया। सूचिका किसी तरह भागी ओर विपक्षी राजेश साह के चंगुल से अपना जान बचाकर भागने में सफल रही। विपक्षी लगातार सूचिका एवं सूचिका के पिता के मोबाईल नं0 पर अप्रिय घटना कारित करने की धमकी दे रहे है एवं सूचिका के वाट्सअप्प एवं फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया पर मैसेज करते हुए धमकी दे रहे है एवं प्रतिबंधित सामान यथा बंदूक, पिस्तौल आदि का फोटो भेजकर जान माल को क्षति पहुॅचाने की धमकी दे रहे है। जिसमें पिस्तौल आदि का फोटो 21.12.2021 को समय 15:15 बजे का है जो सूचिका के मोबाईल नं0 पर विपक्षी द्वारा भेजा गया है। गत रात्रि भी विपक्षी सूचिका के पिता के मोबाईल नं0 पर कॉल करके धमकी देते हुए बोले कि यदि अपना बेटी का भला चाहते हो तो उसकी शादी मेरे से करवाओ अन्यथा तुम्हारी बेटी का फोटो/वीडियो एडिट करवाके आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट करेंगे कि सीमांचल को 05 जिला में कहीं शादी होने नहीं देंगे और बाप–बेटी दोनों इस दुनिया से ही उठ जोओगे वगैरह–वगैरह।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर प्रस्तुत वाद की औपचारिक प्राथमिकी फारबिसगंज थाना काण्ड सं0–51/2022 के रूप में दिनांक 14.01.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज कर वाद का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र सं0– 133/22 दिनांक 15.03.2022 को अन्तर्गत धारा 341, 323, 354ए, 354डी, 506, 420/34 भा.द.वि. एवं 67 I.T Act के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध समर्पित किया गया। वाद का संज्ञान धारा 376, 499, 500 भा.द.वि. एवं 67(A) I.T Act के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 17.06.2022 को लिया गया।

4. उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 10.11.202 को आरोप का गठन धारा 376, 500 भा.द.वि. एवं 67 I.T Act के अंतर्गत किया गया एवं उसका सारांश हिन्दी में पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त अपने उपर लगाये गये

आरोपों का खंडन करते हुए न्यायिक–विचारण का दावा किये। अभियोजन पक्ष की ओर से चार साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। अन्य साक्षियों की उपस्थिति हेतु सम्मन एवं अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया, परन्तु कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं हुआ।

5. अभियुक्तगण का बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 25.07.2023 को दर्ज किया गया। वे अपने को निर्दोष बताये और बचाव पक्ष के अनुरोध पर सफाई साक्ष्य बंद किया गया।

6. न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त ढंग से सभी तर्कसंगत संदेहों से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा हैं?

मंतव्य

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से 04(चार) साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जो निम्न है :–

अभियोजन साक्षी सं0 1 मनजेश कुमार साह,

अभियोजन साक्षी सं0 2 रूपा कुमारी,

अभियोजन साक्षी सं0 3 सत्यनारायण साह,

अभियोजन साक्षी सं0 4 राजेश भारती।

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया है जो निम्न हैः–

01. पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श 01

02. लिखित आवेदन पर पीड़िता के हस्ताक्षर को प्रदर्श 02

03. जब्ती सूची पर एस0आई राजेश भारती के हस्ताक्षर को प्रदर्श 03

04. पीड़िता द्वारा दिए गए पेन ड्राईव के जब्ती सूची पर राजेश भारती, रूपया कुमारी एवं सत्यनारायण के हस्ताक्षर को प्रदर्श 04

05. औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श 05

06. टंकित आवेदन के पंजीकरण को प्रदर्श 06

07. आरोप पत्र को प्रदर्श 07 अंकित किया जाता है।

8. बचाव पक्ष के द्वारा न तो किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया है।

9. अभियोजन साक्षी सं0 01 मनजेश कुमार साह है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में कहा है कि यह मुकदमा अभियुक्त राजेश साह पर किया गया है। घटना सन् 2002 की है और रूपा कुमारी मेरी बहन है। कंडिका 2 में कहा कि मेरी बहन रूपा फारबिसगंज में पढ़ाई कर रही थी तो असामी परेशान करने लगा तब मेरे पिताजी ने मुकदमा कर दिया। साक्षी ने अभियुक्त राजेश साह को पहचानने से इनकार किया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में कहा कि मैं लुधियाना में रहता हूॅ और वहॉ पर सिलाई का काम करते है तथा घटना के समय मैं लुधियान में था। कंडिका 5 में कहा कि घटना के बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। कंडिका 6 में कहा कि मेरी बहन के साथ राजेश साह ने कोई परेशानी या बलात्कार नहीं किया है। नोटिस मिलने पर गवाही देने आया हूॅ।

अभियोजन साक्षी सं0 02 रूपा कुमारी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण के कंडिका 01 में कहा कि घटना का करीब डेढ़ साल हुआ है, उस समय मैं सदर रोड फारबिसगंज में भाड़े के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी और राजेश साह मुझे तंग करता था तथा बोलता था कि तुम अपना नंबर दो हरवक्त मुझसे बात करो, उसने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया। मैं उससे कभी प्यार नहीं करती थी। कंडिका 2 में कहा कि मेरे साथ जो घटना घटी थी उसकी पूरी जानकारी मैंने अपने पापा को दिया। मैंने पापा को बताया तो पापा ने प्रथमतः अभियुक्त राजेश साह को समझाने का प्रयास किए परन्तु जब वह नहीं माना तो पापा ने कथित मुकदमा पुलिस थाने में जाकर किया। तदोपरान्त अररिया महिला थाना में पुलिस ने मेरे साथ पूछताछ किया तथा उसको अभिलिखित किया। तदोपरान्त मुझे पुलिस ने न्यायालय में भी बयान वास्ते प्रस्तुत किया था और मैंने संबंधित जज के सामने भी अपना बयान अभिलिखित कराया था, जो कि आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसको मैं पहचानती हूॅ, जिस पर मैंने

पढ़ एवं समझ कर अपना दस्तखत बनाया था, जिसे प्रदर्श 01 अंकित किया जाता है। अभी मैं वर्तमान में बी0सी0ए0–तृतीय, ऑनर्स पूर्णियॉ में पढ़ाई कर रही हूॅ। अभियुक्त राजेश साह को मैं पहचानती हूॅ, जो कि न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 3 में कहा कि अभियुक्त का फारबिसगंज सदर रोड में कपड़े का दुकान था। मेरा राजेश साह के दुकान में आना–जाना कपड़ा लेने वास्ते था। राजेश साह को मैं पहले से जानती थी, मैंने धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान न्यायालय के समक्ष अपने परिवार वाले के दबाव में दिया था, स्वेच्छा से नहीं। राजेश साह फेसबुक आई0डी0 बना कर मुझे तंग करता था, मेरा फोटो वगैरह पोस्ट करता था, फेसबुक आई0डी0 मेरे नाम से बना था, पर किसने बनाया था मुझे नहीं पता। मैं धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान भी अपने घर वाले एवं परिवार के दबाव में दी थी, स्वेच्छा से नहीं दी थी। कंडिका 4 में कहा कि राजेश साह के दुकान से मेरे पापा एवं परिवार वालों ने कपड़ा वगैरह खरीदा था जिसका पैसा बाकी था। राजेश साह से मुझे एवं मेरे पिताजी को सिर्फ मौखिक झगड़ा हुआ था, कपड़े के खरीद एवं रूपया पैसा के लेन–देन के कारण मौखिक रूप से बाता–बाती हुई थी। किसी प्रकार से उसने मेरा यौन शोषण और उत्पीड़न नहीं किया था वरन् तथ्य की भूल के कारण मेरे पिता जी आवेश में आकर यह मुकदमा दाखिल कर दिये।

अभियोजन साक्षी सं0 03 सत्यनारायण साह है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में कहा कि टाईप किया हुआ आवेदन मेरे बेटी के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णियॉ को दिया गया था जिस पर मेरी बेटी रूपा कुमारी का हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानती हूॅ। इसे प्रदर्श 02 अंकित किया जाता है, उसी आवेदन पर फारबिसगंज थाना कांड सं0 51/2022 अंकित हुआ। अभियुक्त राजेश साह के विरूद्ध। घटना का करीब सत्रह महीना हुआ है और मेरी बेटी रूपा कुमारी फारबिसगंज में पढ़ती थी जिसे राजेश साह तंग करने लगा तब मैं अपनी बेटी को घर ले गए और पॉच बार पंचायती किये थे। कंडिका 2 में कहा कि उसके बाद बेटी को पूर्णियॉ भेज दिये थे और वहॉ भी राजेश साह तंग करने लगा तब मैं केस किया था। केस होने के बाद पुलिस मुझसे पूछताछ किया था और पुलिस को सारा बात बताये थे। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में कहा कि फारबिसगंज में जहॉ मेरी बेटी पढ़ती थी, वहॉ पर राजेश साह का कपड़ा

दुकान है। राजेश साह का पिता और मैं दोनों दोस्त है इस नाते से हमलोगों को आपस में कम की मात्रा में एक–दूसरे के यहॉ आना–जाना होता था। राजेश साह के दुकान में मेरा कोई बकाया नहीं था। पढ़ाई–लिखाई में तंग करता था इसलिए हमको झगड़ा हुआ था। कंडिका 5 में कहा कि मेरी बेटी जो आवेदन दिया था उसे मैं नहीं पढ़ा था। कपड़ा दुकान में मेरी बेटी का आना–जाना था। कंडिका 6 में कहा कि आवेदन में रूपा कुमारी के द्वारा क्या लिखा गया था उसका मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। राजेश साह मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता था इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कंडिका 7 में कहा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार नहीं किया था और मेरी बेटी के साथ छेड़खानी व फोटो वायरल नहीं हुआ था।

अभियोजन साक्षी सं0 04 राजेश भारती, जो वाद के अनुसंधानकर्ता है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में कहा है कि दिनांक 14.01.2022 को फारबिसगंज थाना में मैं पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। फारबिसगंज थानाकांड संख्या 51/2022 के अनुसंधान का भार मैंने दिनांक 14.01.2022 को ग्रहण किया। अनुसंधान का प्रभार ग्रहण करने के बाद प्राथमिकी को कांड दैनिकी में अंकित किया और वादिनी का बयान लिया उसके बाद पीड़िता रूपा कुमारी का बयान लिये। कंडिका 3 में कहा कि पर्यवेक्षण टिप्पणी को कांड दैनिकी में अंकित किये। उसके बाद अभियुक्त राजेश साह उर्फ राजेश कुमार को गिरफ्तार किये थे जिसे मैं पहचानता हूॅ। अभियुक्त राजेश के पास से दो मोबाईल जब्त किये थे और उसका जब्ती सूची मेरे द्वारा तैयार किया गया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूॅ। इसे प्रदर्श 03 अंकित किया जाता है। कंडिका 4 में कहा कि अभियुक्त राजेश साह का सफाई बयान लेकर कांड दैनिकी में अंकित किये। दिनांक 05.02.2022 को अभियुक्त राजेश साह को न्यायालय में अग्रसारित किये थे। दिनांक 14.02.2022 को पीड़िता का 161 दं0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लिया गया जो कांड दैनिकी के पारा 58 में अंकित है। दिनांक 28.02.2022 को पीड़िता रूपा कुमारी का न्यायालय में धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान कराये जो कांड दैनिकी के पारा 67 में अंकित है। बयान कराने के बाद पीड़िता के पिता को पीड़िता को जिम्मेनामा पर सौंप दिये थे। कंडिका 5 में कहा कि दिनांक 03.03.2022 को पीड़िता रूपा कुमारी के द्वारा एक पेन डाईव दिया गया था

जिसका प्रस्तूती सह जब्ती सूची मेरे द्वारा तैयार किया गया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है और रूपा कुमारी और उनके पिता सत्यनारायण साह का भी हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूॅ। इसे प्रदर्श 04 अंकित किया जाता है। कंडिका 7 में कहा कि औपचारिक प्राथमिकी थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूॅ। इसे प्रदर्श 5 अंकित किया जाता है। टंकित आवेदन पर फारबिसगंज थानाकांड सं0 51/22 थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु के द्वारा पंजीकृत किया गया है जिस पर उनका हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूॅ इसे प्रदर्श 6 अंकित किया जाता है। कंडिका 8 में अभियुक्त राजेश साह के खिलाफ आरोप पत्र थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु के द्वारा समर्पित किया गया है और आरोप पत्र उनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है पहचानता हूॅ। इसे प्रदर्श 7 अंकित किया जाता है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में कहा कि घटनास्थल पर मैं एक बार गया था और घटनास्थल के आसपास के किसी स्वतंत्र गवाह का बयान मैंने नहीं लिया था। अभियुक्त राजेश साह के पास से जो मोबाईल जब्त किया था और अन्य मोबाईल कुल मिलाकर छह मोबाईल में से घटना के संदर्भ में सी0डी0आर0 निकालने के लिए भेजे थे लेकिन टेक्नीकल सेल से कोई सी0डी0आर0 प्राप्त नहीं हुआ इसलिए मैंने केस डायरी में अंकित नहीं किया है। कंडिका 11 में कहा कि मैंने फोटाग्राफ के साथ पेनड्राईव दिया था लेकिन अभी केस रिकॉर्ड में नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि बड़ा बाबू केस डायरी के साथ पेनड्राईव कोर्ट में प्रस्तुत किये थे। कंडिका 12 में कहा कि टंकित आवेदन पूर्णियॉ पुलिस महा निरीक्षक, पूर्णियॉ क्षेत्र पूर्णियॉ को दिया गया था उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है। कंडिका 13 में कहा कि इस मुकदमा के अनुसंधान के दौरान मैंने अंकित नहीं किया हूॅ कि अभियुक्त राजेश साह आपराधिक प्रवृति के लोग है या बदमाश है। पीड़िता के द्वारा दिये गये पेनड्राईव का जॉच हेतु मैंने न्यायालय में आवेदन नहीं दिया था। कंडिका 14 में कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि किसी का फोटोग्राफ को एडिट कराकर कोई वायरल कर देगा। कंडिका 15 में कहा कि अनुसंधान के दौरान पीड़िता को फोटोग्राफ को मेरे द्वारा देखा गया था या नहीं, मुझे याद नहीं है। कंडिका 16 में कहा कि मेरे द्वारा पिठौरा का मुखिया या पलासी का मुखिया का बयान दर्ज नहीं किया गया है। केस दैनिकी के पारा 38 में जो फेसबुक अकाउंट अंकित है। उसकी सत्यता की जॉच के लिए मुझे तकनीकी ज्ञान नहीं है। फेसबुक अकाउंट की जॉच के संदर्भ में

तकनीकी शाखा को मेरे द्वारा पत्र नहीं लिखा गया था। कंडिका 17 में कहा कि पलासी गॉव में सिर्फ छापामारी करने गये थे। पीड़िता का 164 दं0प्र0सं0 का बयान कराने हेतु न्यायालय में पीड़िता को लेकर मैं आया था तथा पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट किसके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था मुझे याद नहीं है।

10. अभियोजन ने अपने बहस के दौरान कहा है कि अभियोजन साक्षी संख्या 01 जो कि पीड़िता का भाई है, ने भी घटना का समर्थन किया है। स्वयं पीड़िता भी अभियोजन साक्षी संख्या 02 के रूप में प्रस्तुत हुई और उसने भी मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त राजेश साह उसे तंग करता था और यह बात उसने अपने पापा को बताया भी था। सूचिका के पिता भी अभियोजन साक्षी संख्या 03 के रूप में प्रस्तुत हुए। इन्होंने भी अभियुक्त द्वारा अपनी बेटी को परेशान किए जाने की बात कही है। अतः, सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।

जबकि इसके विरूद्ध बचाव पक्ष ने अपने बहस के दौरान कहा कि किसी भी साक्षी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पूर्व में शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर केश हुआ था और पीड़िता के साथ न तो कोई बलात्कार ही हुआ था और न कोई छेड़खानी हुई थी और न ही फोटो वायरल हुआ था। न्यायालय के समक्ष न तो कोई भी पेनड्राईव या सी0डी0 प्रस्तुत की गई और न ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(B) का ही अनुपालन किया गया। अतः अभियोजन का संपूर्ण मामला ही व्यर्थ है। अंततः अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी आरोप साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त दोषमुक्ति के अधिकारी है।

निष्कर्ष

11. प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य एवं अभिलेख का अवलोकन एवं विश्लेषण किया। आरोप पत्र के कुल 06(छः) साक्षियों में से 04 (चार) साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। अभियोजन साक्षी सं0 02 रूपा कुमारी सह पीड़िता ने मुख्य परीक्षण में यह तो कहा कि राजेश साह मुझे तंग करता था तथा बोलता था कि तुम अपना नम्बर दो व हर वक्त मुझसे बात करो परान्तु अभियुक्त राजेश साह ने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया। मैं उससे कभी प्यार नहीं करती थी। प्रतिपरीक्षण

में भी कहा कि राजेश साह फेसबुक आई0डी0 बनाकर मुझे तंग करता था, मेरा फोटो वगैरह पोस्ट करता था, फेसबुक आई0डी0 मेरे नाम से बना था, पर किसने बनाया था, मुझे पता नहीं। अभियुक्त राजेश साह का फारबिसगंज सदर रोड में कपड़े का दुकान था। मेरा राजेश साह के दुकान में आना–जाना कपड़ा लेने वास्ते था। राजेश साह को मैं पहले से जानती थी, मैंने धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान न्यायालय के समक्ष अपने परिवार वाले के दबाव में दिया था, स्वेच्छा से नहीं। राजेश साह फेसबुक आई0डी0 बना कर मुझे तंग करता था पर फेसबुक आई0डी0 किसने बनाया था मुझे नहीं पता। मैं धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान भी अपने घर वाले एवं परिवार के दबाव में दी थी, स्वेच्छा से नहीं दी थी। राजेश साह के दुकान से मेरे पापा एवं परिवार वालों ने कपड़ा वगैरह खरीदा था जिसका पैसा बाकी था। राजेश साह से मुझे एवं मेरे पिताजी को सिर्फ मौखिक झगड़ा हुआ था, कपड़े के खरीद एवं रूपया पैसा के लेन–देन के कारण मौखिक रूप से बाता–बाती हुई थी। किसी प्रकार से उसने मेरा यौन शोषण और उत्पीड़न नहीं किया था वरन् तथ्य की भूल के कारण मेरे पिता जी आवेश में आकर यह मुकदमा दाखिल कर दिये। अभियोजन साक्षी सं0 03 सत्यनारायण साह ने प्रति परीक्षण में कहा कि जहॉ मेरी बेटी पढ़ती थी, वहॉ पर राजेश साह का कपड़ा दुकान है। राजेश साह का पिता और मैं दोनों दोस्त है। अभियुक्त राजेश साह पढ़ाई–लिखाई में तंग करता था इसलिए हमको झगड़ा हुआ था। मेरी बेटी जो आवेदन दिया था उसे मैं नहीं पढ़ा था। कपड़ा दुकान में मेरी बेटी का आना–जाना था। आवेदन में रूपा कुमारी के द्वारा क्या लिखा गया था उसका मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। राजेश साह मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता था इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मेरी बेटी के साथ बलात्कार नहीं किया था और मेरी बेटी के साथ छेड़खानी व फोटो वायरल नहीं हुआ था। अभियोजन साक्षी सं0 01 मनजेश कुमार साह ने प्रतिपरीक्षण में कहा कि घटना के बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरी बहन के साथ राजेश साह ने कोई परेशानी या बलात्कार नहीं किया है। इस प्रकार न ही पीड़िता ने और न ही पीड़िता के पिता एवं भाई ने आरोप का समर्थन किया है। इसके अलावा न्यायालय के द्वारा चिकित्सक की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत किया गया था परन्तु पुलिस के द्वारा न्यायालय से निर्गत प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करते हुए चिकित्सक को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आदेश

12. विचारणीय अभियुक्त राजेश साह, पिता–रामेश्वर साह, साकिन–पलासी वार्ड नं0 02, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया को आरोपित धारा 376, 500 भा.द.वि. एवं 67 I.T Act के आरोपों से आरोप की पुष्टि युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए दोष–मुक्त किया जाता है। अभियुक्त तथा उनके प्रतिभुओं को भी बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत करके खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया। तदनुसार कार्यालय विधितः संबंधितों को सूचित करे साथ ही पूर्व में साक्षियों या अभियुक्त के खिलाफ यदि कोई सम्मन, वारण्ट आदि प्रक्रियाएँ भेजी गई हो, को रिकाल करें एवं निर्णयानुसार प्रदर्श सूचि यदि कोई हो तो तैयार कर अभिलेख के साथ संलग्न करें।

लेखापित एवं संशोधित
Sd/-

(मनोज कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अररिया। 21.08.2023

Sd/-

(मनोज कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अररिया। 21.08.2023